इकाई 11 जवाहरलाल नेहरू

इकाई की रूपरेखा

11.1 प्रस्तावना

11.2 नेहरू का वैज्ञानिक स्वभाव

11.2.1 विज्ञान और धर्म

11.2.2 वैज्ञानिक मानवतावाद

11.3 संस्कृति के संबंध में नेहरू का सिद्धान्त

11.4 नेहरू के राजनीतिक विचार

11.4.1 राष्ट्रवाद पर

11.4.2 लोकतंत्र पर

11.4.3 व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता

11.4.4 संसदीय लोकतंत्र पर

11.5 समाजवाद पर नेहरू

11.6 नेहरू का अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण

11.7 सारांश

11.8 अभ्यास प्रश्न

11.1 प्रस्तावना

भारत में नेहरू के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। उन्हें आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में ठीक ही माना जाता है। भारत के लोगों पर विश्वास करते हुए उन्होंने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था और आर्थिक रूप से ऐसे आधुनिक राष्ट्र और देश बनाने का प्रयास किया। समुदाय में जिसकी भूमिका उनके मन में स्पष्ट थी। वे दार्शनिक और व्यावहारिक राजनीतिक नेता दोनों थे। उन्होंने रहन-सहन की पाश्चात्य शैली अवश्य सीखी परन्तु कुछ सीमा तक उन्होंने स्वयं में पाश्चात्य संस्कृति और पाश्चात्य लोकतांत्रिक विचारधारा को आत्मसात् किया, जिसका झुकाव साम्यवादी चिन्तन की ओर था, फिर भी अपने बाद के वर्षों में उन्होंने माइकिल ब्रेशर के अनुसार (*नेहरू: ए पालिटिकल बायोग्राफी*) "भारतीय इतिहास और दर्शन का अधिक गहरी समझ अर्जित की और अनुवर्ती विचारधारा और कार्य का आधार समृद्ध किया।" वह उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दियों की प्रवृत्तियों द्वारा प्रभावित हुआ था। क्योंकि उन्होंने उन्हें विश्व में पाया, परन्तु उसने किसी भी समय अपने देश की जमीनी वास्तविकताओं से आंखें नहीं मूंदी। यद्यपि उनका जीवन आराम और सुख-साधन सम्पन्न था, नेहरू जनता का व्यक्ति था।

जवाहरलाल नेहरू (इसके बाद नेहरू) का जन्म 1889 में हुआ। उनकी शिक्षा घर पर ही इलाहाबाद और हेरॉन तथा क्रैम्ब्रिज में हुई। इंग्लैण्ड में अपने सात वर्ष के प्रवास काल के दौरान, उन्होंने ब्रिटिश मानवतावादी स्वतंत्रता की परम्पराओं को आत्मसात किया, इसमें मिल, ग्लैडस्टोन और मोर्ले द्वारा उन्हें अधिक प्रेरित किया। अन्य में जिनके विचारों ने नेहरू को प्रभावित किया, वे जार्ज बर्नार्ड शा और बर्नेट रस्सैक थे। वे हाब्स, रुसो या मार्क्स की भांति राजनीतिक दार्शनिक नहीं थे परन्तु निःसन्देह वे विचारधारा के व्यक्ति थे और धर्म के भी।

नेहरू भारतीय स्वतंत्रता के उन प्रमुख सेनानियों में से एक था जिन्होंने अन्य नेताओं, जैसे, वल्लभ भाई पटेल, सुभाषचन्द्र बोस, जयप्रकाश नारायण, राजेन्द्र प्रसाद आदि; के साथ कांग्रेस आन्दोलन (गांधी के नेतृत्व में) का नेतृत्व किया। उसने 1946 में अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया और स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने और इस पद पर 1964 में मृत्यु के समय तक रहे। राष्ट्रीय आन्दोलन की अवधि के दौरान नेहरू कई बार जेल गए और कई बार कांग्रेस की अध्यक्षता भी की। वह 1929 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब कांग्रेस ने 'पूर्ण स्वराज्य' का संकल्प पारित किया।

नेहरू की प्रमुख रचनाएँ *ग्लिम्प्सेज ऑफ वर्ल्ड* और *दी डिस्कवरी ऑफ इंडिया* हैं।

11.2 नेहरू का वैज्ञानिक स्वभाव

नेहरू अपने दृष्टिकोण में मूलतः वैज्ञानिक थे। वास्तव में, वह राष्ट्रवादी नेताओं में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय समाज के आधुनिकीकरण के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व को स्वीकारा है। आधुनिक शिक्षित भारतीयों के लिए और यह भी सत्य है, नेहरू ने आधुनिक और वैज्ञानिक होने का प्रतिनिधित्व किया है। नेहरू के लिए, जैसा कि वे कहते थे विज्ञान जीवन का सार है, जिसके बिना आधुनिक विश्व में जीवित रहने में कठिनाई हो सकती है। नेहरू इस बात पर बल देते हैं कि आधुनिक जीवन में विज्ञान प्रमुख कारक होने के कारण को सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक संरचना का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। विज्ञान की उन उपलब्धियों पर बल देते हुए जिसमें असंख्य क्षेत्रों में शक्तिशाली और आधारभूत परिवर्तन भी शामिल हैं, इन सभी परिवर्तनों का सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या, वह है, मनुष्य में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। नेहरू ने दावा किया कि वैज्ञानिक तरीके के साथ मनुष्य का नया दृष्टिकोण ही अकेले मनुष्य जाति को आशा दे सकता है और अच्छे जीवन की संभावना तथा विश्व संघर्षों से छुटकारा दे सकता है। उसे "समाज में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रोत्साहन में पहले से चली आ रही कठिनाइयों की जानकारी थी। जहाँ परम्परागत रीतिरिवाजों द्वारा विचार प्रक्रिया नियंत्रित होती थी।" वे वैज्ञानिक स्वभाव या असंगति से लड़ने के बारे में कहते कभी नहीं थकते थे। (देखे आर.सी. पिल्लै, *नेहरू एण्ड हिज़ क्रिटिक्स*, पृ.29)।

तीसवें दशक के अंत में भारतीय विज्ञान कांग्रेस को सम्बोधित करते हुए नेहरू ने कहा, "राजनीति मुझे अर्थशास्त्र में लाई और यह अनिवार्यतः मुझे विज्ञान में लाई और वैज्ञानिक दृष्टिकोण हम सभी की समस्याओं और स्वयं जीवन में लाई। यह केवल विज्ञान है जो गरीबी और भूख की, गंदगी और साक्षरता की, अंधविश्वास और घातक रीतिरिवाजों और परम्परा की, विशाल विद्यमान संसाधनों के नष्ट होने की, भूखे लोगों द्वारा बसे समृद्ध देश की इन समस्याओं का समाधान कर सकता है।"

अपने पिता की भांति, नेहरू अज्ञेयवादी थे। अपने पिता के पुत्र के रूप में, नेहरू अपनी माता की धर्मपरायणता को कभी भी आत्मसात न कर सके। गांधीजी से तीस वर्षों से भी अधिक समय के संपर्क के बावजूद, जिनके पैगम्बरी व्यक्तित्व से सभी प्रभावित थे, नेहरू, वास्तव में, अज्ञेयवादी रहे। वे हठधर्मी या कट्टर नास्तिक नहीं थे, परन्तु और न ही वे अध्यात्मवादी थे। वे लिखते हैं, "प्रायः बारबार जैसे मैं इस विश्व को निहारता हूँ, मुझे अज्ञात गहराइयों के रहस्यों के विचार आते हैं। रहस्यपूर्ण क्या है, मैं नहीं जानता हूँ। मैं इसे ईश्वर नहीं कहता हूँ क्योंकि ईश्वर का अर्थ बहुत है कि मैं उसमें विश्वास नहीं करता हूँ।" परन्तु जिसे वह अध्यात्म कहता है, इस शब्द का वे बहुधा प्रयोग करते हैं, कुछ नहीं है बल्कि वह है जिसे हम "नैतिक" या "नीतिपरक" कहते हैं और नेहरू, केवल उस सीमित भावना में विज्ञान के ढाँचे में धार्मिक थे। विज्ञान नेहरू का यंत्र थाः "विज्ञान प्रेक्षण के तरीके और सही सही ज्ञान तथा सुविचारित तर्क।"

11.2.1 विज्ञान और धर्म

नेहरू के वैज्ञानिक स्वभाव ने उसे हठधर्मी नहीं होने दिया। इसलिए किसी भी धर्म के लिए उनमें कोई आकर्षण नहीं था, क्योंकि धर्म में, किसी भी धर्म में अंधविश्वास और हठधर्मिता से अधिक कुछ और नहीं देखा। नेहरू ने तर्क प्रस्तुत किया कि प्रत्येक धर्म के पीछे एक दृष्टिकोण तैयार करना है जो पूर्णतः अवैज्ञानिक होता है। परन्तु वे नहीं मानते हैं कि वे धर्म मानव स्वभाव की आंतरिक आवश्यकताओं में किसी प्रकार का संतोष देते हैं और साधारणतः जीवन के नैतिक और सदाचार मूल्यों को निर्धारित करते हैं। नेहरू को केवल सीमित सीमा तक ही धर्म स्वीकार्य था। वे धर्मपरायण व्यक्ति नहीं थे, न ही वे कभी प्रातः एवं सायः की पूजा-पाठ के लिए नैमत्तिक कार्य के रूप में समय व्यतीत करते थे। धर्म की तुलना में विज्ञान अधिक वरीय था, नेहरू यही तर्क दिया करते थे।

नेहरू का वैज्ञानिक स्वभाव था, इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि वे धर्मनिरपेक्षतावादी हो। वी.पी. वर्मा (*माडर्न इंडियन पालिटिकल थॉट*) लिखते हैं, "परन्तु किसी व्यक्ति के लिए (उदाहरण के लिए नेहरू) जो अज्ञेयवादी, भौतिकतावादी या नास्तिक हो, धर्मनिरपेक्षतावाद स्वीकार करना सरल है।" "ज्वाहरलाल था", वह अज्ञेय बना रहा, और भावनात्मक रूप से धार्मिक विवाद में नहीं उलझा।"

धर्मनिरपेक्षतावाद मूलरूप से राजनीतिक का धर्म से पृथक्करण है। राजनीति सार्वजनिक कार्यों से जुड़ा हुआ है। धर्म एक व्यक्तिगत कर्म है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वयं के धर्म का उपयोग करने का अधिकार है। धर्मनिरपेक्षतावाद की अवधारणा का उल्लेख करते हुए, नेहरू कहते हैं, "कुछ लोग सोचते हैं कि इसका अभिप्राय धर्म से कुछ धर्म के विरुद्ध है। वह स्पष्टतः सही नहीं है। इसका क्या अभिप्राय है, यह ऐसी स्थिति है जो सभी विश्वासों (धर्मों) को समान रूप से सम्मान देता है और सभी को एक समान अवसर देता है, जो तब राज्य का धर्म बनता है।" धार्मिक समुदाय के भाग के रूप में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म में भाग ले सकता है। लोग अपनी धार्मिक उत्सवों और अपने धार्मिक अनुष्ठानों तथा अपने रीतिरिवाजों को मनाते हैं। परन्तु साथ ही यदि कोई व्यक्ति इस धार्मिक व्यवस्था से बाहर आना चाहता है तो उसे ऐसा करने का अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति नास्तिक है तो वह किसी भी धर्म को न अपनाने के लिए स्वतंत्र है। राज्य किसी भी व्यक्ति के धार्मिक व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करने जा रहा है।

नेहरू धर्म को संकीर्ण भावना में नहीं लेते थे; धर्म घृणा और असहिष्णुता नहीं सिखाता है, सभी धर्म सत्य बोलते हैं। और यही प्रत्येक धर्म का सार तत्व है। वह इस विचार का था कि राजनीति के आधार पर धर्म सामाजिक प्रगति में सहायता नहीं करता है। साथ ही, नेहरू राजनीति में धर्म की भूमिका के बारे में गांधी के दृष्टिकोण का आदर करते थे। उनकी राय थी कि गांधीजी के राजनीतिक का नैतिक आधार है। गांधी मानते थे कि धर्म राजनीतिज्ञों को नैतिक और सदाचारी होने की शिक्षा दे सकता है। नैतिक मूल्यों और नैतिक व्यवस्था बनाए रखने की शिक्षा देने के लिए समाज में इसकी भूमिका है। उस सीमा तक नेहरू गांधी के साथ थे। परन्तु साथ ही वे इस विचार के विरुद्ध थे कि राजनीतिक दलों को धर्म के आधार पर संगठित किया जाए। उन्होंने भिन्न-भिन्न धर्मों के बीच घृणा पैदा की और घृणा लोगों में हिन्सा तथा असहनशीलता पैदा करती है। वह इस बात से सहमत थे कि धार्मिक समानता शान्तिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण समाज के निर्माण का आधार हो सकती है। सामाजिक शांति के बिना कोई सामाजिक प्रगति संभव नहीं है। समूह का धर्म परिवर्तन करने से सामाजिक सामंजस्य भंग हो सकता है, यद्यपि सैद्धान्तिक दृष्टि से वे इस दृष्टिकोण से सहमत थे परन्तु राजनीतिक रूप से उसने इसका समर्थन नहीं किया।

नेहरू धर्मनिरपेक्षतावादी थे। उन्होंने हिन्दू सम्प्रदायवाद का और मुस्लिम सम्प्रदाय का भी विरोध किया। धर्मनिरपेक्षता के प्रति उनकी भारत में अल्पसंख्यकों के लिए बहुत बड़ी राहत थी। वैज्ञानिक क्रियाविधि में उनके विश्वास उनके राष्ट्रवादी राजनीतिक विचारधारा के विकास में सहायक हुए।

11.2.2 वैज्ञानिक मानवतावाद

नेहरू को अधार्मिक घोषित करना आसान नहीं है, वास्तव में, वे धर्म के विरुद्ध नहीं थे। उन्होंने उस धर्म को स्वीकार किया जिस धर्म ने "मानव प्राणी को अधिक सार्थक उद्देश्य प्रदान किया।" उन्होंने स्वीकार किया कि "धर्म भावना में, आदर्शों में, मानव की अच्छाई और मानव नियत्ति में विश्वास" के लिए विश्राम स्थल के रूप में महत्वपूर्ण प्रयोजन पूरा करता है। (देखिए *नेहरूः एन आटोबायोग्राफी*) नेहरू के अनुसार यह "विश्वास" से 'आंतरिक कल्पनाशील लालसा' थी जो अन्य से मानव में अंतर करती है, यह शुरू होती है, प्रवाहित होती है और ये लालसा ही हैं जो जीवन का अंत करती है। नेहरू कहता है कि विज्ञान भी भावना के आंतरिक जगत का अस्तित्व मानता है, परन्तु यह विज्ञान की पहुँच से बाहर है, विज्ञान के प्रति अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए कहा कि "अस्तित्व कैसा है परन्तु कि "यह अकेला क्यों है" तब स्पष्टतः मनुष्य को भावना के जगत के देखने के लिए अपने अन्तर्ज्ञान की ओर घुमाना पड़ता था। इस प्रकार विज्ञान और अंतर्ज्ञान के बीच भूमिका स्पष्ट थी, विज्ञान व्यक्ति की भावना को परिष्कृत करने में सहायता करता है, अंतर्ज्ञान अध्यात्मिक भारत को समझने में सहायता करता है। जैसा कि नेहरू ने इसे कहा था, जीवन का केवल पर्याप्त दर्शन, अर्थात "जीवन की अभिन्न दृष्टि" उनके अनुसार वह है जिसमें दर्शन में सम्बद्ध विज्ञान का स्वभाव और दृष्टिकोण तथा उन सभी से प्रतिशोध है, जो उसके परे हैं।" जैसा कि नेहरू ने कहा था, "यह दर्शन था, जिसने अस्तित्व को परिभाषित किया, जबकि विज्ञान ने उसका तरीका स्पष्ट किया। (देखेः नेहरू : *दी डिस्कवरी ऑफ इंडिया*) इसलिए नेहरू ने निष्कर्ष निकाला है, "जब तक या तो आंतरिक व्यक्तित्व या बाह्य व्यक्तित्व से जीवन असंतुलित होता है और दोनों संयोजित नहीं होते है, जब समग्र जीवन दर्शन की भावना से विज्ञान तालमेल नहीं बिठाता है तो व्यक्ति की बाह्य और आंतरिक जीवन का संतुलन करना आवश्यक है।" (देखेः *एम.एन. झा, माडर्न इंडियन थॉट,* मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ) इस प्रकार नेहरू एक ओर गांधी के विश्व दृश्य से पर्यावरणीय आयाम जोड़ता है और वे यद्यपि गांधी से सहमत नहीं होते है, फिर भी अन्यों पर उनसे सहमत होते हैं। यद्यपि वे मार्क्स के वैज्ञानिक दृष्टि द्वारा प्रभावित हुए, परन्तु मनुष्य की भावना के प्रति उसके विद्वेष के लिए अपने आपको पृथक रखा। उस सीमा तक नेहरू मार्क्स के वैज्ञानिक पहलू को गांधी के अध्यात्मवादी पहलू से मिलाता है, विशेषकर अपने वैज्ञानिक मानवतावाद से। वैज्ञानिक मानबतावाद मानव संबंध के बारे में नेहरू के विचार की बुनियादी विषय बनाता है।

नेहरू के वैज्ञानिक मानवतावाद में वैज्ञानिक आयाम तथा आध्यात्मिक आयाम का मिश्रण था। गांधी का एक आयाम भी दृष्टिकोण के लिए नेहरू में अंतःआयामी आयाम है। नेहरू के अनुसार मनुष्य जिन परिस्थितियों के परिवेश में अपने आपको बनाता है, उसे ध्यान में रखकर जैसा कि एम.एन. राय कहते हैं, "मानवीय संबंध की आध्यत्मिकीकरण के लिए मार्ग उस की परिस्थितियों के परिवेश से होता है। नेहरू ने स्वयं स्वीकार किया, यह मनुष्य के हित में है कि वह मनुष्यत्व की आवश्यक आध्यात्मिकता में विश्वास करे। परन्तु उसने इस बात पर बल दिया कि विश्वास केवल तर्कवादियों की प्रक्रिया का अंत है। उसकी राय थी कि मानव प्राणी की आध्यात्मिकता में विश्वास मनुष्य कभी भी नहीं करेगा जब तक आस पड़ोस की परिस्थितियाँ उसे विवश नहीं करती है। उसने जोर देकर कहा कि सामाजिक प्रगति के आध्यात्मिकीकरण का मार्ग केवल मनुष्य की भावना के विषय निष्ठताकरण के माध्यम से सामाजिक प्रगति के आध्यात्मिकीकरण है और केवल मनुष्य की भावना का विषय निष्ठताकरण के माध्यम से सामाजिक प्रक्रिया नियमों की अनुभूति है और उसकी अनुभूति है।

मनुष्य की समस्याएँ की कुंजी, जैसा कि नेहरू का विश्वास है, यदि मनुष्य ने अपने आपमें उच्चतम आदेशों जैसे मानवतावाद और वैज्ञानिक भावना को आत्मसात् करने का प्रयास किया है से दोनों के बीच कोई संघर्ष नहीं दिखाई देता है। "मानवतावाद और वैज्ञानिक भावना के बीच बढ़ता हुआ संश्लेषण है, इसके वैज्ञानिक मानवतावाद उभरा है।" वे लिखते हैं, "आधुनिक बुद्धि, अर्थात् आधुनिक

प्रकार का बेहतर प्रकार व्यावहारिक और परिणामवादी नैतिकता और सामाजिक, स्वार्थहीन और मानवतावादी है। यह सामाजिक बेहतरी के लिए व्यावहारिक आदर्शवाद द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उन्होंने काफी सीमा तक प्राचीन कालों के दार्शनिक दृष्टिकोण वास्तविकता की तथा मध्यकाल के भक्तिवाद और रहस्यवाद की अपनी खोज के लिए त्याग दिया है। मानवता उसका ईश्वर है और सामाजिक सेवा उसका धर्म है।"

वैज्ञानिक और युक्तिमूलक स्वभाव से सम्पन्न नेहरू हमेशा विज्ञान को मनुष्य की आजादी के लिए प्रभावकारी उपाय है।

11.3 संस्कृति के संबंध में नेहरू का सिद्धान्त

सक्रिय राजनीतिज्ञ के रूप में और सामाजिक यथार्थवाद और राजनीतिक परिणामवादी लेखक के रूप में नेहरू कुछ आदिकालीन प्रणालियों के साथ एकता के रूप में संस्कृति की अवधारणा को मुश्किल से ही मानता था। नेहरू भारत की ऐसी संरचनात्मक सांस्कृतिक निरन्तरता की ऐसी संभावना को कभी नहीं मानता था, परन्तु वह प्राचीन हडप्पा सभ्यता से आधुनिक सभ्यता तक भारत के ऐतिहासिक रूपान्तरणों के उतार-चढ़ावों के महत्व को स्वीकारता है। वे ऐसा व्यक्ति नहीं था जो भारतीय सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों में ईश्वर या धर्म के प्रकटन को स्वीकार करते हैं। नेहरू ऐसा प्रकृतिवादी और नियतिवादी हैं जिसके पास भौतिक, भूवैज्ञानिक, जीवविज्ञानिक, रासायनिक और मानव वैज्ञानिक आंकड़ा है परन्तु कास्मिक प्रक्रिया का कोई आध्यात्मिक नियंत्रण नहीं देखता है। इसलिए नेहरू के ऐतिहासिक ज्ञान से किसी भी विशिष्ट संस्कृति से कोई दैवकृत विधान और कोई भावनात्मक मोह नहीं है।

यद्यपि नेहरू ब्राह्मण थे, धार्मिक कर्मकाण्ड की किसी भी विधा से उनका कोई लगाव नहीं था, वह गीता के समर्पित निष्काम परमार्थवाद का प्रशंसक था और गीता के ग्यारहवें अध्याय विश्व रूप से कभी भी रोमांचित नहीं हुए। वे निर्माण की धारणां की अपेक्षा रस्सेल और लेनिन से अधिक प्रभावित थे। पश्चिमी-सोवियत विश्व के बाहरी भौतिकतावादी प्रयासों ने प्राच्य विश्व के पौराणिक सृष्टि वर्णन की अपेक्षा अधिक आकर्षित किया। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि नेहरू पूर्णतः मार्क्सवादी लेनिनवादी थे। वे मार्क्सवाद-लेनिनवाद की शक्ति जानते थे, परन्तु यह भी जानते थे कि मानवतावादी मूल्यों से संबंधित क्षेत्रों में कमजोर थे, जब इसने पूंजीवादी प्रणाली के सकारात्मक पहलुओं की उपेक्षा की और जब यह भौतिकतावादी कारकों पर पूर्णतः रहने आए। प्रो. वर्मा का विचार था, जवाहरलाल नेहरू ने अपने जीवन के बाद के भाग में स्वीकार किया होगा कि हस्तांतरण का व्यापक शाखा विस्तार समझने के लिए भौतिकतावादी द्वन्द्ववाद और वर्ग ध्रुवता पर्याप्त साधन नहीं हो सकते हैं।" "वे कहते हैं, मूल्य अपना महत्व खोता है। यदि केवल वर्ग वैचारिक प्रतिक्रियाओं के रूप में समझा जाता है।"

संस्कृति के संबंध में नेहरू की अवधारणा आध्यात्मिक नहीं थी, वे अनन्त नहीं थे, बल्कि मानवतावादी थे, यह कमोबेशी संसारिक, ऐतिहासिक और उस सीमा तक धर्मनिरपेक्षता और संसारिक, सामाजिक और आर्थिक मूल्यों का मिश्रण था।" उसकी संस्कृति हठधर्मी, कट्टरवाद, धर्मान्ध, संकीर्ण, पैगम्बरी, ईश्वरीय और धर्मपरायण नहीं था। यह ऐसा था जो सहानुभूतिवाद परहितवाद, मानवतावाद और उसके प्रचारक थे जो स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, मानव अधिकार और तर्क बुद्धिपरक के अधिक समीप थे। संस्कृति की अवधारणा के बारे में बोलते हुएः प्रो. वर्मा कहते हैं, "सांस्कृतिक व्यापकता के लिए आवश्यक हैः हठधर्मी के बंधनों से मुक्त और उदघाटित धर्म विज्ञान का त्याग, निर्मूल सामाजिक-आर्थिक अवशेषों को धारण करने के लिए अनुचित माँगे त्यागना तथा, नैतिक भिन्न-भिन्न मतों और धार्मिक सिद्धान्तों की निष्ठा पर नैतिकता, न्याय और सामाजिक मानदंडों की सीमित अवधारणा थोपने

के सभी दावे त्यागना।" नेहरू की संस्कृति के बारे में, प्रो. वर्मा ने यह निष्कर्ष दिया, जवाहरलाल नेहरू और गांधीवादी मूल्यों के कुछ अन्य प्रवक्ताओं ने सामाजिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक बहुवाद से लोकतांत्रिक स्वांतत्र्यवाद से मिलाना आसान बनाया है क्योंकि उनकी विश्वव्यापी पूर्ति के प्रति देशभक्ति प्रधान माँगों के लिए वास्तविक वचनबद्धता थी। जवाहरलाल नेहरू राजनीतिक और सांस्कृतिक मूल्यों के रूप में धर्मनिरपेक्षवाद की अपनी वकालत में सच्चे थे।"

11.4 नेहरू के राजनीतिक विचार

11.4.1 राष्ट्रवाद पर

नेहरू महान राष्ट्रवादी थे यद्यपि उनके राष्ट्रवाद का कोई सिद्धान्त नहीं था। वह सांस्कृतिक आधारों पर पोषित भारत की आधारभूत एकता के उद्देश्य पर विश्वास करता था जो उनके अनुसार संकीर्ण भावना के आधार पर धार्मिक नहीं था। वह संकीर्ण विविधता को मानते थे परन्तु साथ ही वह भारत के इतिहास में चली आ रही एकता के प्रशंसक थे। वास्तव में, वे सांस्कृतिक बहुवाद और संश्लेषण की अवधारणा द्वारा प्रेरित हुए थे। उसके लिए, राष्ट्रवाद आत्मप्रशंसा की श्रेष्ठ अवस्था थी। वे लिखते हैं, "राष्ट्रवाद अनिवार्यतः विगत उपलब्धियों, परम्पराओं और अनुभवों की स्मृतियों का झुंड है और आज राष्ट्रवाद पहले की अपेक्षा अधिक दृढ़ है। जहाँ कहीं भी संकट उत्पन्न होता है, राष्ट्रवाद पुनः उठता है और संकट पर नियंत्रण कर लेता है और लोग अपनी पुरानी परम्पराओं में आराम और शक्ति का प्रयास किया है। आधुनिक युग की उल्लेखनीय विकास विगत का और या राष्ट्र की पुनः खोज है।" परन्तु राष्ट्रवाद का ठोस-आधार सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक होता है।

नेहरू स्वभाव से ही राष्ट्रवादी थे और सत्तावाद के विरुद्ध क्रान्तिकारी थे। वे बातचीत की राजनीति, बहुत अधिक विनम्रता और प्राधिकारियों को अपील पसन्द नहीं करते थे। और इसलिए वे हमेशा अपने आपको बाल गंगाधर तिलक के समीप पाते थे। वे कहते हैं, "जहाँ तक राजनीतिक मामलों का संबंध है, यदि मैं ऐसा कहूँ कि मैं भारत की स्वतंत्रता आजादी चाहने वाला भारतीय राष्ट्रवादी था, और बल्कि भारतीय राजनीतिक के संदर्भ में इसके अधिक चरम मार्ग का इच्छुक था जैसा कि उस समय तिलक ने व्यक्त किया था।" परन्तु वे एक तरह से तिलक के गहरे धार्मिक प्रेरणा से सहमत थे।

नेहरू के राष्ट्रवाद की स्पष्ट विशिष्ट विशेषताएँ थीं। यह मिश्रित और संजीव शक्ति थी और इस प्रकार मानव भावना के लिए दृढ़तम अपील कर सका। केवल इसी प्रकार का समाजवाद स्वतंत्रता के लिए प्रेरक शक्ति हो सकता है। और यह अकेले ही कुछ मात्रा तक एकता, शक्ति, और प्रेरणा विश्व भर में लोगों को दे सकता है। परन्तु नेहरू ने संकीर्ण और हठधर्मी किस्म के राष्ट्रवाद को महत्व नहीं दिया। आर. सी. पिल्लै संकीर्ण राष्ट्रवाद पर नेहरू के विचारों के बारे में लिखते हैं: "राष्ट्रवाद हानिकर हो सकता है, यदि कभी लोगों को उनकी-अपनी श्रेष्ठता के बारे में जागरूक किया जाए। यह सर्वाधिक अवांछनीय होगा यदि राष्ट्रवाद की भावना को आक्रामक विस्तारवाद की ओर धकेला गया।" नेहरू स्वयं भारतीय राष्ट्रवाद को उदार और सहनशील कहते हैं: "राष्ट्रवाद अनिवार्यतः भावना विरोधी है और यह अन्य राष्ट्रवादी समूहों के विरुद्ध घृणा तथा क्रोध से फूलता-फलता है।

कार्य में परिणत नेहरू का राष्ट्रवाद देशभक्ति थी और देश की स्वतंत्रता थी। वास्तव में नेहरू का राष्ट्रवाद देश की पूर्ण स्वतंत्रता के विचार के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता थी। उन सभी को प्रेषित अपने कठोर शब्दों के लिए पत्र में जो अभी भी स्वतंत्र उपनिवेश की वकालत करते थे। नेहरू ने 1928 में जोर देकर कहा "यदि विश्व को भारत ने कोई संदेश देना है तो यह स्पष्ट है कि यह ब्रिटिश समूह की तुलना स्वतंत्र देश की भांति बहुत कुछ प्रभावी ढंग से कर सकता है।" और 1928 में उसने लाहौर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की तथा पूर्ण स्वराज्य का संकल्प पारित करवाया।

11.4.2 लोकतंत्र पर

नेहरू लोकतंत्र का प्रबल समर्थक था। अपने सम्पूर्ण जीवन में उन्होंने सदा लोकतंत्र के महत्व पर बल दिया और उत्कट इच्छा व्यक्त की कि स्वतंत्र भारत अकेले ही पूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर जाएगा। उन्हें स्वतंत्रता की उत्कट इच्छा थी। पश्चिमी लोकतांत्रिक परम्पराओं में बड़े हुए नेहरू ने अपनी बाल्यकाल से ही बहुत से आधुनिक लोकतांत्रिक विचारों की प्रमुख अवधारणाओं को आत्मसात किया। उन्होंने दार्शनिकों; जैसे रुसो, मॉटेस्क्यू, मिल का गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया और अपनी रचनाओं में उनका संदर्भ दिया। उन्होंने अपनी आत्मकथा *"ऐन आटोबायोग्राफी"* में स्वीकार किया और लिखा "मेरी जड़ें अभी भी शायद अंशतः उन्नीसवीं शताब्दी में हैं और मैं इससे पूरी तरह से बाहर निकलने में मानवतावादी उदार परम्परा द्वारा बहुत अधिक प्रभावित हुआ हूँ।"

नेहरू के लिए लोकतंत्र एक बौद्धिक दशा थी, यह मुख्यतया ऐसी कल्पना पर आधारित जीवन का तरीका था कि स्वतंत्रता मनुष्य के लिए अभिन्न है। वह इससे भी अवगत था कि स्वतंत्रता के लिए शर्तों के सेट की आवश्यकता होती है। वे लिखते हैं, "आत्म-अनुशासन, सहिष्णुता, और शान्ति का स्वाद - ये स्वतंत्रता का जीवन जीने के लिए बुनियादी शर्तें है।" वे इस विचार से सहमत नहीं है कि असंयमित स्वतंत्रता का कोई महत्त्व नहीं है। एम. एन. झा कहता है, उनकी मान्यता थी कि राज्य का जन्म उसके नागरिकों की स्वतंत्रता को वास्तविक बनाने के लिए हुआ है क्योंकि इसे सामाजिक प्रक्रिया में अलग-अलग व्यक्तियों की निम्न प्राकृतिक प्रवृत्ति के बुरे प्रभावों को निष्क्रिय करना है।" नेहरू मानते थे कि राज्य मनुष्य के लिए आध्यात्मिक आवश्यकता है जिससे उन खास दृढ़ विश्वासों को हटाया जा सके जो धर्मों द्वारा प्रोत्साहित किए जाते हैं।

नेहरू सच्चे लोकतंत्रवादी थे क्योंकि उन्होंने आध्यात्मिक प्रस्ताव के रूप में लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर कभी भी संदेह नहीं किया। झा लिखते हैं कि उनके विचार में सामाजिक प्रक्रिया का आध्यात्मिकरण, "उनके अंदर लोकतंत्र के अधिकतमीकरण का पर्यायवाची है और बाद में न केवल अधिकारों की गारंटी का उद्देश्यीकरण कहा है अपितु अधिकारों को भी होना चाहिए।"

लोकतंत्र के सांस्कृतिक में नेहरू की अवधारणा का विशिष्ट अभिप्राय है। स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभिक वर्षों में नेहरू के लिए लोकतंत्र का अभिप्राय स्वःशासन या उत्तरदायी सरकार का आदर्श है। बाद में समाजवादी विचारों ने उनके विश्व राष्ट्रवाद को बदलते हुए वे लोकतंत्र को ऐसे देखने लगे जो आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में सभी को समान अवसर और व्यक्ति को अपने सबसे अच्छे व्यक्तित्व बनाने और विकसित करने के लिए स्वतंत्रता पर बल देते हैं।

11.4.3 व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता

लोकतंत्रवादी जैसा कि नेहरू प्रकृति और स्वभाव तथा विश्वास से थे, वे किसी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के महत्वपूर्ण घटक के रूप में व्यक्तिक स्वतंत्रता और समानता को स्वीकार करते थे। नेहरू के अनुसार मनुष्य की सृजनात्मक भावना केवल स्वतंत्रता के वातावरण में ही विकसित हो सकती है। मानव जीवन के मूल्यों के संवर्धन और संरक्षण के लिए समाज और व्यक्ति दोनों को स्वतंत्रता का उपयोग करना चाहिए। नेहरू की मान्यता थी कि लोकतांत्रिक समाज का प्रयोजन आवश्यक रूप से सृजनात्मक विकास की दशाएँ प्रदान करता था। भारत ने लोकतंत्र प्रक्रिया को ही क्यों स्वीकार किया? नेहरू ने निम्नलिखित कारण दिएः

> "हमारे लिए विश्व के वस्तुगत माल का उत्पादन करना मात्र ही पर्याप्त नहीं है। हम जीवन स्तर ऊँचा चाहते हैं परन्तु मनुष्य की सृजनात्मक भावना, उसकी सृजनात्मक ऊर्जा, उसकी

अन्वेषण की भावना की कीमत पर नहीं, न ही जीवन के सभी सुन्दर वस्तुओं की कीमत पर, जिसने मनुष्य को युगों से श्रेष्ठ बनाया है। लोकतंत्र केवल निर्वाचन का प्रश्न नहीं है।"

नेहरू व्यक्ति की श्रेष्ठता और स्वायत्तता पर विश्वास करता था, राज्य को व्यक्ति का दमन करने का कोई अधिकार नहीं है, कोई भी विकास प्राप्त नहीं किया जा सकता है यदि मनुष्य की सृजनात्मक योग्यता का दमन होते रहा। व्यक्तिक स्वतंत्रता के बारे में नेहरू की अवधारणा का अभिप्राय अनिवार्यतः भाषण अभिआधुनिक और संघ की मानव क्रियाकलापों के कई अन्य क्षेत्रों की स्वतंत्रता से है। नेहरू का विश्वास था, समाज का सामान्य स्वास्थ्य अधिकांशतः उसके लोगों की स्वतंत्रता द्वारा निर्धारित किया जाता है।

नेहरू के लोकतांत्रिक विचारों में समानता लोकतंत्र की उनकी अवधारणा का महत्वपूर्ण घटक है। "युगचेतना समानता के पक्ष में है। ......" नेहरू ने घोषणा की। नेहरू के अनुसार समानता के सिद्धान्त, का अभिप्राय सभी के लिए समान अवसरों से है; यह समग्र रूप से मानवता में और उसके सम्मान में पूर्व कल्पित कुछ विश्वास है, और ऐसा विश्वास कि ऐसे व्यक्तियों, समूहों या प्रजातियों की प्रगति और कल्याण में है जो मुख्यतया सभी वर्गों द्वारा प्राप्त समान अवसर हो ताकि समाज के कमजोर वर्गों को अधिक अवसर उपलब्ध हो।

11.4.4 संसदीय लोकतंत्र पर

ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय सांस्कृतिक परम्पराओं और ऐतिहासिक अनुभव ने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति प्रणाली के बदले संसदीय प्रणाली का समर्थन करने के लिए नेहरू की सहायता की। संसदीय लोकतंत्र विभिन्न सामाजिक समूहों को समायोजित करने के लिए काफी अधिक लचीला है। किसी भी सामाजिक समूह को व्यवस्था से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाती है क्योंकि व्यवस्था में किसी भी मुद्दे पर ऐसे समूह द्वारा आयोजित आन्दोलन के लिए तैयार रहते हैं। नेहरू भी ऐसे समूहों की माँगों से सहमत नहीं थे। परन्तु लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी माँगों को समायोजित किया। एक बार जब व्यवस्था माँगों को स्वीकार करती है, आन्दोलन समाप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन एक क्लासिकी मामला है। तेलुगु भाषी लोगों ने मद्रास प्रेजिडेन्सी से आंध्र अलग करने के लिए आन्दोलन किया, प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू ने कुछ शर्तों के साथ भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग बनाकर माँग स्वकीर कर ली। यह लोकतंत्रवादी नेता के मनोभाव हैं। बहुत बार नेता सिद्धान्त रूप से समस्या से सहमत नहीं हो सकता है, परन्तु स्वस्थ प्रणाली बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ नीति के रूप में स्वीकार करता है। एक बार जब भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो गया, तब से भारतीय लोकतंत्र संघ (फेडरेशन) के रूप में कार्य करता है, यद्यपि संविधान में यह राज्य के संघ के रूप में उल्लिखित है, परन्तु व्यवहार में यह संघ के रूप में कार्य करता है। संघ भाषायी समूह की सांस्कृतिक पहचान का पोषण करने के लिए संस्थानिक ढाँचा बनाने में सहायता करता है। भारतीय संविधान में केन्द्र और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण है। कानूनी और संवैधानिक व्यवस्था लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है, यद्यपि भाषायी संघवाद के कारण लोकतंत्र को शरीर देता है। यह राजनीतिक व्यवस्था कोई अनियंत्रणीय आकार की समस्याओं को उत्पन्न किए बिना पिछले पचास वर्षों से कार्य कर रही है, यद्यपि पड़ोसी राज्यों से भारतीय संघ के लिए समस्याएँ हैं।

संसदीय लोकतंत्र कार्यपालिका के मंत्रिमंडल रूप का समर्थन करता है जिसमें प्रत्येक राज्य और समुदाय को समायोजित किया जा सकता है। मंत्रिपरिषद के गठन से प्रत्येक समूह और राज्य को स्थान देने में सशयता मिलती है। यह भिन्न-भिन्न समूहों से प्रतिनिधियों को समायोजित और समावेश करके सुदृढ़ सब्व का सृजन करता है। राष्ट्रपति प्रणाली में यह सम्भव नहीं है, क्योंकि कार्यपालिका का गठन राष्ट्रपति का विशेषाधिकार होता है। इसके अलावा, ऐसी भी होने की संभावना रहती है राष्ट्रपति

सर्वसत्तावादी व्यक्ति बन गए। संसदीय प्रणाली में यह संभव नहीं है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के सदस्यों में से एक होता है, यद्यपि वह सदन का नेता और राष्ट्र का नेता है। वह सर्वसत्तावादी नहीं हो सकता है, बल्कि लोकतंत्रवादी होता है क्योंकि वह न केवल मंत्रियों से अपने सहयोगी के रूप में उनके विचार सुनता है बल्कि मुख्यमंत्रियों से भी सुनता है। नेहरू का मुख्यमंत्रियों से सदैव लगातार संचार सम्पर्क बना रहता था; कभी-कभी उनके दृष्टिकोण का विरोध मुख्यमंत्री करते थे परन्तु वे उनकी सुनते थे। हिन्दू कोड बिल के मामले में राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद से उनका प्रबल मतभेद था। परन्तु उन्होंने हिन्दू कोड बिल बनाने में प्रसाद के दृष्टिकोण का समायोजन किया, यद्यपि उन्होंने बिल की रूढ़िवादी की संज्ञा दी। नेहरू ने राष्ट्रपति के हस्तक्षेप का विरोध किया इस आधार पर उसे असंवैधानिक बताया कि भारत के लोकतंत्र में राष्ट्रपति प्रतीकात्मक प्रमुख हैं। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने राष्ट्रपति की स्थिति स्वीकार की और चाहते थे कि वे मित्र और मार्गदर्शक के रूप में नेतृत्व करें और न कि टीम के मास्टर के रूप में।

संसदीय प्रणाली लोकतंत्र संस्थाओं के संतुलन पर निर्भर करती है। नेहरू ने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संतुलन लाने में निर्णायक भूमिका निभाई। विधायिका के लिए उनके मन में बहुत सम्मान था। वे लोक सभा के प्रत्येक सत्र में उपस्थिति का बहुत महत्व देते थे। वे विरोधी पक्ष को बहुत ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करते थे। वे यह देखते थे कि उनके मंत्रिमंडल के साथी सत्र में आने से पहले कुछ तैयारी करके आते हैं। टीम के नेता के रूप में वे संसद में बेहतर निष्पादन के लिए अपनी टीम को नेतृत्व प्रदान करते थे। वे विश्व को यह दिखाने के लिए अपने सहयोगियों तथा विपक्षी नेताओं से सहयोग करते थे कि भारत का नवजात लोकतंत्र अच्छी तरह से कार्य कर रहा है। बाहरी बुद्धिजीवियों जिन्होंने भारत की संसद के कार्य करने की विधि का अध्ययन किया, ऐसे संसद सदस्य के रूप में नेहरू को उचित सम्मान दिया जिसने विपक्ष और अपने सहयोगियों से समुचित सहयोग प्राप्त किया। विपक्ष में बहुत धुरन्धर नेता थे, जैसे लोहिया, मसानी और कृपलानी। संसदीय प्रणाली से भी बाहर कई राजनीतिक नेता थेः जैसे जयप्रकाश नारायण और विनोबा भावे जो नेहरू के नेतृत्व के गुणों को मानते थे। बहुत बार ये गैर संसदीय नेताओं को, जिन्हें इस देश के "संत राजनीतिज्ञ कहा जाता था" राजनीतिक पार्टियों की अपेक्षा राजनीति में अधिक प्रभाव था और नेहरू इन श्रेष्ठ नेताओं से भी आवश्यक सहयोग प्राप्त करने में सक्षम थे। उन्होंने प्रशासन को भूदान आन्दोलन सफल बनाने के लिए सभी संभव सहयोग देने का निदेश दिया।

संसदीय लोकतंत्र लोगों का जनादेश प्राप्त करने के लिए आवधिक चुनाव पर निर्भर करता है, जिसने राजनीतिक पार्टी चुनाव घोषणापत्र रखता है और चुनाव लड़ता है जिसका संचालन निष्पक्ष प्राधिकरण, निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने लोक सभा का आम चुनाव लड़ा और लोक सभा में बहुमत मिला तथा केन्द्र में सरकार बनाई। यह देखना रोचक होगा कि नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने उसके जीवित रहने तक सफलतापूर्वक आम चुनाव लड़ा। उन्होंने 1946 के आम चुनाव में जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन के बारे में घोषणापत्र प्रस्तुत किया। आम जनता ने उनको व्यापक समर्थन दिया यद्यपि चुनाव स्वतंत्रता से पहले किया गया था। उनके नेतृत्व को मान्यता मिली और भारत के लोगों में वैधता प्राप्त हुई। 1952 के आम चुनाव में कांग्रेस के चुनाव घोषणापत्र में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रलेख के कार्यान्वयन के प्रश्न थे जिसमें ग्रामीण और औद्योगिक दोनों की अर्थव्यवस्था का उल्लेख था। जनता ने इसे खुले दिल से स्वीकार किया। कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यों के आधार पर और समाजवादी, स्वतंत्र और साम्यवादी जैसी विरोधी पार्टियों का मुकाबला कर प्रत्येक चुनाव में विजयी हुई। परन्तु नेहरू इन राजनीतिक नेताओं और पार्टियों का बहुत सम्मान करते थे। उन्होंने लोक सभा के उपचुनावों में कुछ नेताओं को चुने जाने में भी सहायता की और विरोधी पक्ष के नेताओं के विरुद्ध कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। वह संसद में बहस की गुणवता के बारे में चिन्तित

थे, जब विपक्ष में चोटी के नेता की उपस्थिति से ही संभव था। इसके अलावा निर्वाचन राजनीति में सहभागिता संसदीय लोकतंत्र को सुदृढ़ करता है। प्रतियोगी राजनीति भिन्न-भिन्न विचारधारा की अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों की सहभागिता पर आधारित है। चुनाव संसदीय लोकतंत्र के लिए त्यौहार हैं। नेहरू सब प्रकार की गंभीरता से इन उत्सवों में भाग लिया करते थे। स्वतंत्र शिक्षाविदों द्वारा किए गए चुनाव अध्ययनों से ज्ञात होता है कि कांग्रेस को जाति और वर्ग दोनों आधारों पर समाज के प्रत्येक अनुभाग से निर्वाचक सहायता मिली। निर्वाचक राजनीति ने व्यवस्था में विभिन्न सामाजिक समूहों की गतिशीलता में सहायता दी, जिनकी माँगों ने राजनीतिक प्रणाली की क्षमता को बढ़ाए रखा।

11.5 समाजवाद पर नेहरू

समाजवाद में नेहरू की रुचि उनके क्रैम्ब्रिज के दिनों से मालूम होती है, जब जार्ज बर्नार्ड और बेब्स के फेबिनिज्म ने उन्हें आकर्षित किया। उन दिनों के दौरान वे जॉन मेनार्ड केन्स और बेट्रॉन्ड रसैल के व्याख्यानों में जाते थे, जिसने उनके विचारों को प्रभावित किया। विश्व भर में तेज़ी से बदलते हुए राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विचार आकार ग्रहण कर रहे थे, इससे उनका समाजवादी प्रभाव भी तेज हुआ। गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे लाखों भारतीयों ने नेहरू को मार्क्स और लेनिन की मार्क्सवादी विचारधारा के होते हुए भी समाजवादी बनाया, जबकि उसपर उनका गहरा प्रभाव था। नेहरू समाजवाद को केवल आर्थिक सिद्धान्त नहीं मानते थे, उन्होंने 1936 के कांग्रेस अधिवेशन में कहा, "यह महत्वपूर्ण सिद्धान्त है, जिसे मैं दिल और दिमाग से मानता हूँ।" उन्होंने स्वीकार किया कि भारत में भयंकर विपुल गरीबी और तकलीफों को समाप्त करने का अन्य कोई रास्ता नहीं सिवाय समाजवाद के माध्यम से यह संभव हो सकता है।

नेहरू की राय थी कि समाजवाद की अन्य कोई विचारधारा भारत के लोकतांत्रिक पैटर्न में उपयुक्त नहीं हो सकती है। उन्हें विश्वास था कि समाजवादी पैटर्न अपनाए बिना कोई भी लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता है। समाजवाद का सार, नेहरू कहा करते थे, "उत्पादन के उपायों का राज्य द्वारा नियंत्रण" मैं है और समाजवाद को प्रेरित करने वाले विचार यह था कि धनी द्वारा गरीब का शोषण रोका जाए। नेहरू के लिए समाजवादी तरीका "गरीबी समाप्त करना, विपुल रोज़गार, था।" वह गांधी के इस दावे को हंसी हंसी में उड़ा देते थे कि जिसमें एक और समाजवादी होना था और साथ ही सर्वहारा की तानाशाही की मार्क्सवादी विचारधारा को अस्वीकार करना था। भारत की विचित्र दशाओं में नेहरू ने यदि समाजवाद नहीं तो समाज के समाजवादी पैटर्न की वकालत की।

समाजवाद के बारे में नेहरू की अवधारणा निजी सम्पति का उन्मूलन नहीं था, परन्तु सहकारी सेवा के उच्च आदर्श से वर्तमान लाभ प्रणाली को बदलना है। उसके समाजवाद के उत्पादन के उपायों का स्वामित्व राज्य के पास नहीं था परन्तु उनका स्वामित्व सामाजिक और सहकारी था। नेहरू समाजवाद को लोकतंत्र के निकट लाए।

नेहरू के समाजवाद में प्रगतिशील औद्योगीकरण की विशिष्ट विशेषताएँ थी केवल जिसके माध्यम से भारत की आर्थिक समस्याएँ (गरीबी, पिछड़ापन, उत्पादन की कम दर) हल की जा सकती हैं और केवल जिसके माध्यम से आधुनिक भारत का निर्माण किया जा सकता है। उनका दृढ़ता से विश्वास करना था कि औद्योगीकरण में "इसके लिए केवल एक मात्र समाधान औद्योगीकरण की प्रगति तेज़ करने के लिए आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में निहित है, जो कृषि विकास की संभावनाओं पर भी निर्भर रहता है। औद्योगीकरण के लिए नेहरू ने पूंजीवादी मॉडल को नकारा है और कुछ प्रमुख उद्योगों के राष्ट्रीकरण और कृषि में सहकारीकरण के लिए उसे सीमित कर समाजवादी पैटर्न की वकालत की जबकि उद्योग और कृषि में सहभागिता करने के लिए निजी क्षेत्र को अनुमति

दी गई। इसे समाज का समाजवादी पैटर्न का सार कहा जा सकता है.... ऐसा मॉडल जो (i) आर्थिक नियोजन; (ii) मिश्रित अर्थव्यवस्था; (iii) पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से कार्य करने के लिए बनाया गया। नेहरू जानते थे कि समाज का समाजवादी पैटर्न "समाजवाद के अपने विशुद्ध रूप में नहीं है बल्कि यह रूप समाजवाद की दिशा में देश को ले जाएगा।" उसका यह विश्वास था।

नेहरू की समाजवादी अवधारणा में भावी भारत और भारत के आधुनिकीकरण का स्वप्न था। उसने लिखाः "क्योंकि हमें उसे उद्योगों का विकास करने उसकी भूमि प्रणाली की सामंतवादी स्वरूप को बदलने सामाजिक सेवाओं का विकास करने के लिए आधुनिक तरीकों से वैज्ञानिक आधार पर भारत का निर्माण करना है, जिसकी उसे आज अत्यंत कमी है।" यदि भारत को अपने आपको आधुनिक बनाना है, नेहरू ने कहा, उसे अपनी अतिधार्मिकता को कम करना होगा और विज्ञान की ओर मुड़ना होगा। उसे अपने विचारों और सामाजिक आदत में अपनी अतिविशिष्टता त्यागनी होगी जो उसके लिए कारावास की तरह हो गया है, इसने उसके मनोभावों को रुद्ध कर दिया है तथा विकास को रोक दिया है।"

11.6 नेहरू का अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण

अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उद्भव और विकास में नेहरू का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वास्तव में, वे महज राष्ट्रवादी थे और इसलिए भारत की स्वतंत्र विदेश नीति थी जो भारत के राष्ट्रीय हितों के अनुकूल थी। विदेश नीति के रूप में गुटनिरपेक्षता उसके उद्देश्यों में राष्ट्रवादिता थी। भारत न तो अपने आपको आधुनिकीकरण के लिए तैयार कर सका और न ही अपनी सीमाओं की रक्षा सफलतापूर्वक कर सका, यदि वे सैन्य ब्लाकों में से किसी एक से गठबंधन कर लेता। उसकी अर्थव्यवस्था राजनीति, सामाजिक अस्तित्व, आंतरिक परिस्थितियाँ जोखिम में पड़ जाती यदि वह युद्धोत्तर (1945) दिनों में किसी भी ब्लाक में जाने का मार्ग चुनता। इसलिए यदि नेहरू ने भारत के लिए स्वतंत्र गुटनिरपेक्ष विदेश नीति बनाने का प्रयास किया तो सार्थक हुआ और राष्ट्रवादी के रूप में नेहरू को अग्रिम पंक्ति पर ला खड़ा किया।

परन्तु नेहरू राष्ट्रवादी होने के बावजूद महान अन्तर्राष्ट्रीयवादी थे। वे एक आन्दोलन के रूप में था अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर एक शक्ति के रूप में गुटनिरपेक्ष का संस्थापक था। हृदय से नेहरू अन्तर्राष्ट्रीयवादी था, संयुक्त राष्ट्र का समर्थक, विश्व का हिमायती, थे। राष्ट्रों के समुदाय में भारत के लिए उनकी भूमिका थी। इसलिए, नेहरू का तर्क था, भारत को "विश्व सहयोग और वास्तविक अन्तर्राष्ट्रीयवाद के पक्ष में अपने संकीर्ण राष्ट्रवाद निकाल देना चाहिए। वह इस बात पर जोर देते रहते थे कि राज्यों को राष्ट्रवाद और अन्तर्राष्ट्रीयवाद के बीच पर्याप्त संतुलन बनाए रखना चाहिए। संकीर्ण राष्ट्रवाद, उनके अनुसार, साम्राज्यवाद में ले जाता है, जिसे उन्होंने पहले अवसर पर ही निन्दनीय घोषित किया, एक राज्य द्वारा दूसरे का शोषण होता है, जो उसके विचार में विश्व शान्ति के लिए खतरा है। वह बल्कि विश्व संघ और विश्व गणतंत्र के उद्भव की कल्पना करता है और न कि शोषण के लिए साम्राज्य की। नेहरू कहते हैं, "विश्व का अन्तर्राष्ट्रीयकरण हो गया है, उत्पादन का अन्तर्राष्ट्रीयकरण हो गया है, बाजार अन्तर्राष्ट्रीय हैं और परिवहन भी अन्तर्राष्ट्रीय हैं .... वास्तव में कोई भी राष्ट्र स्वतंत्र नहीं है, वे सभी परस्पर निर्भर हैं।"

यदि कल्पना प्रधान निष्ठा ने नेहरू ने ऐसा राष्ट्रवादी बनाया है तो जैसा कि प्रो. वर्मा कहता है, "नव कल्याण के लिए युक्तिमूलक और व्यवहारवादी विचारों ने उसे शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व और "एक विश्व" के आदर्शों का विश्वासी बनाया है।" परमाणु विखंडन, हाइड्रोजन फ्यूजन तथा न्यूट्रॉन बमों और रसायन युद्धों की संभावनाओं के युग में नेहरू विश्व शान्ति निरस्त्रीकरण का समर्थक, और संयुक्त राष्ट्र के

आदर्शों का विश्वासी हो सकता था। विश्व आतंकवाद का केवल एक ही विकल्प है और यह है, जैसा कि नेहरू ने ठीक ही कहा है, विश्व शान्ति।

11.7 सारांश

भारत के स्वतंत्रता संग्राम में और आधुनिक भारत के निर्माण में नेहरू के योगदान को मुश्किल से ही नकारा जा सकता है। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेताओं में से एक थे। यद्यपि वे महात्मा गांधी के अनुयायी थे और उनके उत्तराधिकारी भी थे, परन्तु इसका गांधी से महत्वपूर्ण मतभेद था। नेहरू धार्मिक व्यक्ति नहीं थे, वे राजनीति के अध्यात्मीकरण पर गांधी के विचारों से कभी भी सहमत नहीं थे, उन्होंने गांधी के न्यासिता के आर्थिक विचारों का समर्थन कभी नहीं किया। नेहरू अज्ञेयवादी थे और इसलिए राजनीति में धर्मनिरपेक्षतावादी थे। उन्होंने विज्ञान में सभी समस्याओं की कुंजी पाई। यद्यपि अपने संपूर्ण जीवन में नेहरू ने वैज्ञानिक स्वभाव वकालत की और वैज्ञानिक मानवतावाद का संदेश दिया।

नेहरू राजनीतिक यथार्थवादी था और हमेशा सभी समस्याओं के प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण रखता था। अपने राजनीतिक विचारों में नेहरू ने अन्तर्राष्ट्रीयवाद के उपयुक्त राष्ट्रवादी, लोकतंत्र में दृढ़ विश्वास करने वाला था, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए और समानता के लिए उसमें अथाह उत्साह था। उन्होंने संसदीय लोकतंत्र की वकालत की और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का निर्माण करना चाहते थे। अपने आर्थिक विचारों में नेहरू फैबियन ब्राण्ड का समाजवादी थे। उन्होंने पूंजीवाद और मार्क्सवाद के बीच का रास्ता चुना। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उनका उत्कृष्ट योगदान शान्तिपूर्ण और सुरक्षित विश्व के लिए उनका समर्थन था।

11.8 अभ्यास प्रश्न

1) नेहरू के वैज्ञानिक स्वभाव और वैज्ञानिक मानवतावाद के बारे में उनकी अवधारणा का विवेचन कीजिए।
2) नेहरू के संस्कृति संबंधी सिद्धान्तों का मूल्यांकन कीजिए।
3) नेहरू की राजनीतिक विचारधारा के सिद्धान्तों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।
4) नेहरू के समाज की अवधारणा का विकासक्रम बताइए। समाजवाद के उनके सिद्धान्त की क्या विशेषताएं हैं?
5) नेहरू के अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का संक्षेप में विवेचन कीजिए।